12 hrs

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### REPORTED MISSING OF THE SHIP "SONAVATI" DUE TO CYCLONE AND STEPS TAKEN BY GOVERNMENT IN REGARD THERETO

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I call the attention of the Minister of Shipping and Transport to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The reported missing of the ship 'Sonavati' of the Scindia Steam Navigation Company Ltd. due to cylone and steps taken by the Government in this regard."

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी):** मुझे सदन को बंगाल की खाड़ी में हुई समुद्री दुर्घटना की सूचना देने के बारे में खेद है । मामले के तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

मोटर वैसल "सोनावती" जो 1960 में बना था (जी० आर० टी० 1999 तथा डी० डब्लू० टी 3105) सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का है । यह जहाज, जिसमें नमक था और 38 कार्मिक थे, तुतीकोरिन से कलकत्ता को जा रहा था और 8 दिसम्बर, 1973 को विशाखापत्तनम् के लगभग 256 कि० मी० दक्षिण पूर्व में एक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री तूफान में घिर गया । जहाज ने एक "संकट संदेश" (एस० ओ० एस०) भेजा जो सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के एक अन्य जहाज "जलमोती" ने ग्रहण किया और आगे कलकत्ता रेडियों को भेज दिया । इस संदेश के अनुसार, 8-12-1973 को लगभग दिन के 2 बजे कार्मिकों ने जहाज छोड़ दिया । जहाज उसी दिन, दिन के 2.40 पर डूब गया ।

संदेश प्राप्त होने पर, जल परिवहन विभाग कलकत्ता के प्रधान अधिकारी ने भारतीय वायुसेना स्टेशन, वैरकपुर तथा ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापत्तनम और जल परिवहन विभाग, मद्रास के प्रधान अधिकारी को तुरन्त सतर्क कर दिया । इस समय, बचाव कार्य में चार जहाज लगे हुए हैं, जिनमें से 3 भारतीय हैं और एक विदेशी है । भारतीय जहाज "जलमोती" और "जल जवाहर" सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के हैं तथा "देवराज जयंती" शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का है और "एंपिलोसिस" जहाज ग्रीक शिपिंग कम्पनी का है ।

ताजे समाचारों के अनसार इस अभागे जहाज के अभी तक 28 कार्मिक बचा लिये गये हैं, 4 की मत्यु हो गई है और 6 लापता है ।

प्रधान अधिकारी, जल परिवहन विभाग, मद्रास ने इस समुद्री दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच शुरू कर दी है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 8 दिसम्बर, 1973 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम् से लगभग 256 किलोमीटर यह जहाज तूफान से घिर गया, उस ने एस० ओ० एस० भी भेजा जिस को कलकत्ता रेडियो द्वारा प्रसारित किया गया । उन्होंने यह भी बताया कि उसी दिन 2 बजे जो कर्मचारी उस जहाज में काम कर रहे थे उन्होंने उस जहाज को छोड़ दिया और 2 बजकर 40 मिनट पर वह जहाज डूब गया । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—क्या यह मुमकिन नहीं था कि इस तूफान के आने की सूचना उस जहाज के कर्मचारियों को पहले से दी जा सकती थी । यदि दी जा सकती थी, तो क्या इस जहाज में ऐसी सूचना प्राप्त करने का कोई यंत्र लगा हुआ था या नहीं ? यदि था, तो क्या

[श्री एस० एम० बनर्जी]

वह काम नहीं कर रहा था, यदि कर रहा था तो उन को वह सूचना पहले क्यों नहीं दी गई ?

इस सूचना के प्राप्त होने पर दूसरे जहाजों ने उन को बचाने की कोशिश की—यह खुशी की बात है। 28 व्यक्ति बचा लिए गए, लेकिन 10 व्यक्तियों की जान चली गई। 4 के शव मिले हैं और 6 के लिए मिसिंग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो यह आशा करता हूं कि वे भी जीवित हों तो अच्छा है।

मर्चेन्ट सिपिंग एक्ट के अन्तर्गत जो एन्क्वायरी हो रही है, उस के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि एन्क्वायरी करने वाले अफसर कौन हैं, क्या वे वही व्यक्ति होंगे जो जहाजरानी में हिस्सा ले रहे हैं या इस की कोई निष्पक्ष जांच होगी ?

इस दुर्घटना में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है—उन के परिवारों को कोई कम्पन्सेशन मिलेगा या नहीं ? यदि मिलेगा तो अन्तरिम सहायता का रूप में कितना कम्पेन्सेशन उन्हें दिया गया है और आइन्दा कितना दिया जायेगा ?

यह प्राइवेट कम्पनी जो जहाजरानी का काम कर रही है, इस ने कभी भी जहाजों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं की है—इस से मालूम होता है कि अब समय आ चुका है कि सरकार नेशनल शिपिंग बोर्ड के अन्तर्गत इस कम्पनी को भी अपने हाथ में ले। क्या सरकार इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने जा रही है, यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने 4 सवाल पूछे हैं—इस जहाज को तूफान की सूचना पहले से देने की जरूरत थी, क्या ऐसा सम्भव था कि यह सूचना उन को पहले से मिल जाती, यदि नहीं मिली तो क्यों ? दूसरा—एंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन कौन है ? क्या कोई निष्पक्ष व्यक्ति होंगे या इस शिपिंग कम्पनी के कुछ अफसरान होंगे, चाहे वे टैक्नीकल हों या नान-टैक्नीकल हों—उन को यह काम सौंपा जायेगा ? तीसरी—जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उन के परिवारों को कितना मुआवजा दिया जा चुका है और आगे कितना मुआवजा मिलेगा ? चौथा—इस शिपिंग कम्पनी को सरकार अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है या नहीं ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी** : कोई भी दुर्घटना हो जाये, जिसमें लोगों के प्राण चले जायें—यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह दुर्घटना हो गई और इस में 4 आदमी मारे गए और 6 का पता नहीं है। हम सब यही उम्मीद करें कि वे 6 जीवित होंगे तो यह अच्छी ही बात है, लेकिन सम्भवतः उन के भी प्राण चले गए होंगे। जहां तक सूचना देने की बात है—यह मैट्रीलोजिकल डिपार्टमैंट की जिम्मेदारी है और वे रोज इस की सूचना पोर्ट्स को जहाजों को दिया करते हैं . . .

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं—उन्होंने जब भी कहा है कि बारिश होगी, बारिश कभी नहीं हुई, आप उन पर डिपेन्ड करें।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (ग्वालियर): यदि उन्होंने घोषणा कर दी कि आज बारिश होगी, तो लोग छाते नहीं ले जाते।

**श्री कमलापती त्रिपाठी** : आज कल तो ज्योतिष की बात भी झूठी निकल रही है। मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट भी बैठा ही है लेकिन उनका काम यह है, उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इसकी सूचना दे दें और

प्रति दिन यह सूचना दी जाती है। जहां तक इस मसले की सूचना पहुंची या नहीं, यह मानकर चलना होगा कि जांच हो रही है उससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी। मर्कन्टाइल मेरीन डिपार्टमेन्ट के जो प्रिंसिपल आफिसर हैं वे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कर रहे हैं। उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाये तभी बात ठीक तरह से स्पष्ट हो सकती है। उनकी रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी शुरु कर दी है। यह इंक्वायरी कानून के मुताबिक शुरु की गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, जो ऐक्ट है मर्केन्टाइल मेरीन ऐक्ट उसके मुताबिक इंक्वायरी शुरु की है, उनकी रिपोर्ट आ जाये तो फिर कोर्ट की भी इंक्वायरी होगी। कोर्ट भी बैठती है कानून के मुताबिक और उसमें सारा मामला पेश किया जायेगा।

जहां तक कम्पेन्सेशन की बात है, कम्पेन्सेशन भी कानून के मुताबिक दिया जाता है। जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से उन्हें कम्पेन्सेशन यूनुअल स्केल के मुताबिक दिया जायेगा। सीमैन को 11 हजार से 15 हजार का कम्पेन्सेशन नेशनल मेरिटाइम बोर्ड के एग्रीमेंट के मुताबिक दिया जायेगा। जो नान-सर्टिफिकेटेड आफिसर हैं उन्हें 40 महीने का वेज दिया जाता है अगर अफसर की अवस्था 30 वर्ष से कम है और अगर 30 वर्ष से ज्यादा अवस्था है तो 35 महीने का वेज दिया जाता है। सर्टिफिकेटेड आफिसर जो होते हैं उन्हें 48 महीने का वेज दिया जाता है अगर 30 वर्ष से कम की उम्र है और 42 महीने की तनख्वाह दी जाती है अगर 30 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो। तो यह कम्पेन्सेशन का रूल है और इसके हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा।

यह शिपिंग कम्पनी और जितना प्राइवेट सेक्टर है उसको ले लिया जाये या नहीं, यह गवर्नमेंट की पालिसी से सम्बन्ध रखना है। किसी चीज का नेशनलाईजेशन तब करते हैं जब उसमें लाभ दिखाई देता है। नेशनलाईजेशन स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि वह एक साधन है किसी साध्य को पूरा करने के लिए यदि कोई लाभ दिखाई दे तो नेशनलाइजेशन पर विचार किया जाये और यदि कोई लाभ न हो तो नेशनलाइजेशन करना जरूरी नहीं है। तो अभी नेशनलाइजेशन का मामला हमारे सामने नहीं है।

SHRI S. M. BANERJEE: You have heard that the compensation is only Rs. 11,000 in some cases. In the Indian Airlines it is Rs. 1,00,000 and in the railways it is Rs. 50,000. I would request you to ask the Minister to take steps to see that the Act is amended.

MR. SPEAKER: He has had his chance.

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा): सोनावती जहाज की दुर्घटना के संबंध में दिए गए वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है ता जहाज के कार्मिकों को बचाने में काफी तत्पर त से काम लिया गया फिर भी चार व्यक्ति मारे गए और 6 का पता अभी नहीं चल सका है। उनके बारे में बहुत कुछ आंशका है कि सम्भवत: वे मर गए हैं। इस दुघटना को रोकने के बारे कुछ प्रयत्न किया जा सकता था या नहीं यह तो जांच कमीशन से पता चलेगा लेकिन फिर भी मैं मंत्री महोदय से उनके वक्तव्य के आधार पर यह पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि तूफान के आने की सूचना उनको मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा मिलती है तो क्या यह सम्भव नहीं है क्योंकि विज्ञान और टैक्नोलाजी का जो विस्तार हुआ है, दूसरे मुल्कों में जो हालात हैं उसके आधार पर क्या जहाजों में ऐसे उपकरण लगाना सम्भव नहीं है जिससे पूर्व पता चल

[श्री नवल किशोर शर्मा :]

सके किसी होने वाली दुर्घटना का या आने वाले तूफान का अथवा पोर्टस पर अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती जिसके द्वारा इस तरह की पूर्व सूचना मिल सके और वह पूर्व सूचना उन जहाजों को दी जा सके जिससे समय रहते वे अपनी रक्षा का प्रबंध कर सक ? क्या इस विषय में उन्होंने कोई जानकारी दी है और क्या ऐसा करना हिन्दुस्तान में सम्भव नहीं है ?

दूसरे अभी मंत्री जी ने जो आंकड़े बताये कम्पेन्सेशन के उसमें रुल्स के मुताबिक 11 हजार या 30 महीने की तनख्वाह या 40 महीने की तनख्वाह सर्विस के आधार पर मिलेगी तो यह तो रुल्स हैं वह कब बने थे और इन रुल्स के बारे में आज के मौजूदा हालत में क्या पुनर्विचार करने का उनका इरादा नहीं है ? जैसा कि अभी मेरे मित्र बनर्जी साहब कह रहे थे कि हवाई जहाज के यात्रियों के लिए एक लाख रुपये का कम्पेन्सेशन और रेल यात्रियों के लिए 50 हजार का कम्मेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई है तो यह कार्मिक जो कि रात दिन काम करते हैं, प्राणों से जूझते हैं उनके लिए इतना थोड़ाकम्पेन्सेशन पुनर्विचार के योग्य नहीं है क्या? इस के साथ-साथ मैं यह आश्वासन भी मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर वे इन कार्मिकों का कम्पेन्सेशन बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं तो क्या वे उनके डिपेन्डेन्टस को जहाज में या किसी दूसरी जगह स्थान देने पर सहानभतिपूर्वक विचार करेंगे ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी :** मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं बहुत कुछ उससे सहमत हूं। यह बात ठीक है कि आजकल विज्ञान की बड़ी उन्नति हो गई है। और कोई कारण नहीं है कि तूफानों की सूचना सतर्क करने की दृष्टि से आरम्भ में न दे दी जाए। मैं समझता हूं कि कुछ इसका प्रबन्ध है। पोर्टस पर इसका प्रबन्ध है और वह सूचना दी जाती है। जहाजों पर भी उसका प्रबन्ध होगा उसका मुझे ठीक पता नहीं है लेकिन अगर नहीं है तो उसको हम देखगे कि जहाजों पर भी उसका कोई प्रबन्ध हो। पोर्ट्स पर सूचना मिले न मिले लेकिन जहाज पर जो लोग हो उन्हें सूचना मिल जाए और तूफान आने की आशंका का उन्हें पता लग जाये। जहां तक मुझे मालूम है जब उड़ीसा में तूफान आया था तो उस समय एक कमेटी बनी थी जो इस बात को देखेगी कि समुद्र में जो हों उनको भी तूफानों की सूचना दी जा सकती है या नहीं, मुझे अभी असवर नहीं मिला है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को देख सकू, पता नहीं वह आ गई है या नहीं लेकिन जैसा आपने सुझाव दिया है उसा पर हम जरूर ध्यान देंगे और भविष्य में इसका प्रबन्ध करने की कोशिश की जाएगी।

जहां तक कम्पेन्सेशन की बात है, यह तो नेशनल मेरीटाइम बोर्ड है उससे एग्रीमेन्ट हुआ था जिसके मुताबिक यह कम्पेन्सेशन मंजूर किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो मुआविज़ा दिया जा रहा है या दिया जाता है उसको भी देखने की जरुरत है क्योंकि समुद्र में जो लोग रहते हैं वे ज्यादा खतरे में रहते हैं कम खतरे में नहीं रहत है इसलिए इस विषय में भी विचार करने का जो सुझाव है उस पर भी विचार किया जाएगा ?

जहां तक उनके सम्बन्धियों को काम देने की बात है , मैं समझता हूं कि यह सुझाव भी अच्छा है और इसके लिए मैं जरुर प्रयास करेगा। अगर उनके पास सम्बन्धी हैं जिनके कि प्राण चले गए हैं तो उनके आश्रितों को कोई न कोई स्थान दिया जाए इस पर भी विचार किया जाएगा।

**श्री विरेन्द्र सिंह राव** (मन्हेद्र गढ़): अध्यक्ष महोदय, यह निहायत अफसोस की बात है कि पंडित जी ने जैसे ही जहाजरानी मुहकमे को सम्हाला उसके फौरन बाद ही जहाजों का बेड़ा गर्क होना शुरु हो गया। वे एक धार्मिक व्यक्ति है, अच्छे विचारों के हैं और इन्होंने महूरत जरुर मिकलवाया होगा लेकिन हो सकता है कि रज बहादुर जी की बददुआओं का असर आना शुरु हो गया हो । . . . (**व्यवधान**) . . . . जहाजरानी का सुपरस्टीशन से खास ताल्लुक है, इस लिए मैं ने यह अर्ज़ किया है ।

मंत्री महोदय ने अपने बयान में फ़रमाया है कि इस जहाज का जी० आर० टी० 2,000 टन से नीचे था और डी० डब्ल्यू० टी० 3106 टन था । क्या वह बतायेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इस जहाज पर उस की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा माल लादा गया हो ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस जहाज के कप्तान को कितने दिन से कप्तानी का सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था और ऐसे समुन्दरी जहाजों के कप्तानों को लाइसेंस देने के लिए जांच करने का और फ़िटनेस मालूम करने का गवर्नमेंट का क्या तरीका है । मंत्री महोदय यह भी बतायें कि क्या यह हल्का जहाज था और अपने चार्टर्ड रुट पर चल रहा था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तूफ़ानों के लिए मशहूर है और इतने हल्के जहाज का बीच समुन्दर में, साहिल से बहुत दूर, चलना कुदरती तौर पर बहुत खतरनाक है ।

सरकार के पास इस बात की क्या व्यवस्था है कि कुछ अरसे के बाद जहाजों की सी-वर्दीनेस का सर्टिफ़िकेट हासिल करना पड़े ? यह जो जहाज डूबा है, उस को सी-वर्दीनेस का पिछला सर्टिफ़िकेट कब मिला था ?

मंत्री महोदय ने अपने बयान में बताया है कि 28 आदमी रेसक्य पर लिये गये, चार लाशें बरामद हुई और छः आदमी मिसिंग हैं, जिन की तलाश जारी है । उन्होंने हाउस में यह बयान पढ़ने से पहले यह फ़िक्रा काट दिया कि छः मिसिंग आदमियों की तलाश जारी है । क्या इसका यह मतलब है कि उन छः आदमियों की तलाश छोड़ दी गई है और अगर छोड़ दी गई है, तो क्यों ? पहले यह खबर आई थी कि ऐसा शुबहा किया जाता है कि वे भी नजदीक की समुन्दर में हैं । उन्होंने किस तरह यह तसल्ली कर ली कि अब आगे उन को ढूंढने की जरुरत नहीं है ? गवर्नमेंट के पास हवाई जहाज और हेलिकाप्टर वगैरह बहुत साधन हैं । क्या इस बात का खतरा नहीं है कि कहीं वे बेचारे तड़प तड़प कर समुन्दर में मर जायें ?

यह बात भी समझ में नहीं आ रही है कि इस जहाज ने जो एस० ओ० एस० सिग्नल दिया, वह कलकत्ता में रिसीव हुआ, जब कि नजदीकतरीं जगह विशाखापत्तनम् थी । वहां ईस्ट्रन नेवल कमांड का हैडक्वार्टर है । इस के साथ ही मर्केन्टाइल मैरिन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल आफ़िसर भी नजदीक ही मद्रास में है । विशाखापत्तनम् एक बहुत बड़ा पोर्ट है । नेवी के पास अपने जहाज, हेलिकाप्टर और हवाई जहाज होते हैं । क्यों नहीं सब बड़े बड़े बन्दरगाहों पर ऐसा कोई बन्दोबस्त किया जाता कि नजदीकतरीं जगह पर एस० ओ०एस० रिसीव किया जाये ? और फौरन उस जहाज के रेस्क्यू के लिए बन्दोबस्त किया जाए क्या इसमें सरकार की, या सरकार के मर्केन्टाइल डिपार्टमेंट की, कोताही नहीं है कि जहाज विशाखापत्तनम के नजदीक डूब रहा है, लेकिन उसका एस० ओ० एस० नजदीक नहीं, बल्कि कलकत्ता में रिसीव होता है और वहां से रिले करके विशाखापत्तनम् से कार्यवाही की जाती है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**: श्रीमान : माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे सवाल उठाये हैं । मैं तो समझता हूं कि मैं धार्मिक आदमी

[श्री वीरेन्द्र सिंह राव]

हूं ? इस लिए 28 आदमी बच गए। लेकिन कहीं अगर यह विभाग राव साहब के हाथ में रहता, तो एक भी न बचता। मुझे बड़ा अफसोस है कि वह महकमा लेने के बाद यह दुर्घटना हुई और इस के लिए मैं खेद प्रकट कर चुका हूं। जहां तक बेड़ा गर्क करने की बात है, मैं इस चेष्टा में लगा हूं कि मैं माननीय राव साहब का बेड़ा बाहर निकाल दूं, जो गर्क हो चुका है।

मैं ने अपने वक्तव्य में एक लाइन इस लिए निकाल दी है, क्यों कि मेरे पास आज सूचना आई है कि जब तीन चार दिन तक पूरी कोशिश करने के बाद भी उन लोगों का पता नहीं लगा, तो यह समझा गया कि और पता लगाने की चेष्टा करना बेकार होगा और जलमोती तथा अन्य तीन चार जहाज, जो उन की खोज कर रहे थे, लौट आये। मैं इस बात की एनक्वायरी करुंगा कि वे कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन की लाश भी नहीं मिल सकती अगर उन बेचारों के प्राण चले गए, तो कम से कम लाशें तो मिल जाए।

जहां तक संकट संदेश का प्रश्न है, सिंधिया नेवीगेशन कम्पनी का एक जहाज, जलमोती, कहीं आस-पास था, पहले उस ने उस संदेश को पकड़ा और उसने उस को कलकता रिले कर दिया। लेकिन विशाखापत्तनम भी 260 किलोमिटर दूर था। मर्केन्टाइल मैरिन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल आफ़िसर इन सब बातों की इनक्वारी कर रहे हैं। उस एनक्वायरी की रिपोर्ट में ये सब पांयट्स आयेंगे कि यह संदेश कहां दिया जा सकता था वह टाइम से मिला या नहीं, मीटिआरोलोजिकल डिपार्टमेंट की कोई गलती हुई है या नहीं, कहीं माल तो ज्यादा नहीं लदा था, आदि। एनक्वायरी की रिपोर्ट आने पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक सी -वर्दीनेस का सम्बन्ध है, जिस दिन यह जहाज चला, उस की सी वर्दीनेस 100 परसेंट थी। सर्टिफ़िकेट देने के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद जांच हुआ करती है। दिसम्बर, 1974 में इस की एनक्वायरी होनी थी ?

इस बात के लिए बोर्ड भी बैठती है कि किस भर जिम्मेदार डाली जाए और कौन दंडित हो। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने पर इस बारे में कार्यवाही की जाएगी ?

**श्री श्रीकिशन मोदी** (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आज के इस विज्ञान के युग में सारे जहाज यंत्रों से सुसज्जित होते हैं और इस कारण उनके ऐसे तूफानों से डूब जाने की सम्भावना कम होती है। लेकिन इस जहाज के बारे में एक खास बात है कि यह, जहाज 1960 हालैण्ड में बना था और 1968 में पुराना जहाज इस कम्पनी ने खरीदा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1968 में जब यह जहाज खरीदा गया तो क्या उस समय उस के बारे में पूरी जानकारी सरकार के पास, या उस कम्पनी के पास थी। क्या सरकार के पास आज इस बात की कोई जानकारी है कि उस जहाज में कोई खराबी तो नहीं थी और क्या वह तूफानों की सूचना देने वाले यंत्रों से महरूम तो नहीं था ?

ये सारे जहाज इनशोर्ड होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पुराना जहाज किस कीमत पर खरीदा गया और वह कितनी रकम पर इनशोर्ड था।। ज्यादातर प्राइवेट कम्पनियां बीस हजार रुपये के माल को साठ हजार रुपये पर इनशोर्ड कराती हैं और इस तरह उसके लिये साठ हजार रुपये देने पड़ते हैं। क्या एनक्वायरी के इस समय से बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि यह जहाज कितने रुपये में खरीदा गया, कितने रुपये पर इनशोर्ड था और सरकार को इसके लिये

कितना रूपया देना पड़ेगा ? क्या सारा नुकसान सरकार का हुआ है ?

मैं समझता हूं कि इसमें प्राइवेट कम्पनी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सारा नुकसान सरकार का हुआ है । इस पर लदा हुआ माल इनशोर्ड था । उसका मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा । यह जहाज न जाने कितने परसेंट ज्यादा पर इनशोर्ड था । वह इंशोरेंस का रुपया सरकार को देना पड़ेगा । और जो आदमी मर गये हैं, उनके लिये भी सरकार को कम्पेन्शेशन देना पड़ेगा । इस प्राइवेट कम्पनी की कितनी लायबिलिटीज हैं । उसको कितना नुकसान हुआ है ? वह कितना खमियाजा भरेगी ? इस समय हमारे यहां कितने प्राइवेट जहाज हैं और इनकी क्या स्थिति है ?

6 दिसम्बर को आपका आदर-सत्कार किया गया था, तो वहां श्री बाजपेयी ने कहा था कि हम जहां भी जायें, वहां बंटाधार हो जाता है ; हम चिली जाने वाले थे और वहां पर सरकार का तख्ता पलट गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कहीं उस जहाज पर श्री बाजपेयी की छाया या प्रतिनिधि तो नहीं था, जिससे वह डूब गया ।

मैं मंत्री महोदय की योग्यता और कुशलता की दाद देना चाहता हूं । इस में दो रायें नहीं हैं कि उनके धार्मिक होने और उच्च विचारों का होने के नाते 28 आदमियों का बचाव हुआ है ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय । मेरे नाम का हावाला क्यों दिया जा रहा है ? इस विभाग के मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी हैं । एक जहाज डूबा और कुछ लोग बचा लिये गये । लेकिन मुझे बीच में लाने की कोशिश क्यों की जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये कि आप भले आदमी है, ब्रह्मचारी हैं ।

**श्री कमलापति त्रिपाठी** : श्री बाजपेयी का नाम इसलिये लिया गया कि वह सदन की शोभा हैं ।

माननीय सदस्य के सवालात तो तफसील के हैं कि कितने में खरीदा गया, हालैण्ड में बना और इसके बाद 68 में उन्होंने खरीदा, कितने का खरीदा, इन्श्योर्ड है या नहीं ,है. दुर्घटना से इसका कोई बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं इन सारी बातों की जांच करके इसकी सूचना उनको दे दूंगा और यह भी जानकारी कर लूंगा कि कम्पेन्शेशन वगैरह सरकार को देना होगा या कम्पनी को देना होगा ।

आपने यह सवाल भी किया कि कितने प्राइवेट जहाज आपके पास हैं । बहुत सी कम्पनियां हैं । हमारे पास तो शिपिंग कार-पोरेशन आफ इण्डिया के जो जहाज हैं वह तो मैं समझता हूं कि जितना काम हम करते है इसका सिर्फ 40—45 परसेंट काम करते हैं बाकी बहुत सारा काम प्राइवेट कम्पनियां करती हैं और कुछ बाहर की भी करती हैं । तो ये तो बहुपद विस्तार के सवाल हैं आप चाहेंगे तो आपके पास पूरी सूचना भेज देंगे । सम्प्रति इसकी जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट जब आ जाय तब उसके बाद फिर भविष्य की कार्यवाही की जायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : जो सूचना आपने उन्हें बाद में भेजेंगे वह आप टेबल पर ही रख दीजियेगा ताकि दूसरे मेम्बरों को भी मालूम हो जाय ।

**श्री कमलापति त्रिपाठी** : आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ।

**श्री मधु लिमये** (बांका) : अध्यक्ष महोदय. बंगाल की खाड़ी का इलाका तूफान और आंधी का इलाका है और इसमें लगातार जहाज डूबते चले जा रहे हैं । आपको याद

[श्री मधु लिमये]

होगा कि ढाई साल पहले या तकरीबन तीन साल हो गये, महाजगमित्र नाम का जहाज डूब गया था और यहां तक कि कहां वह डूबा, उसके ऊपर जो नाविक थे उनका क्या हुआ, सरकार को पता तक नहीं चला ।

**श्री कमलापति त्रिपाठी** : राव साहब को बता दीजिये ।

**श्री मधु लिमये** : राव साहब क्या करेंगे ? इसमें करना तो आप ही लोगों का है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं ।

मैं यह कह रहा था कि बंगाल की खाड़ी का इलाका चूंकि तूफान का इलाका है और बंगाल की खाड़ी पर भारत के अलावा बंगला देश, बर्मा, मलाया ये देश भी बसते हैं, तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन देशों के साथ मिल कर जहाजों को बचाने के लिये मीटिरिओलाजिकल डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि कोई और नया संगठन आप अपनायें और उसमें बंगला देश, मलाया तथा बर्मा की भी मदद लेंगे ।

दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दिनों में जो स्पेस रिसर्च चल रहा है और वेदर सटेलाइट्स वगैरह बनाये जा रहे हैं तो क्या बंगाल की खाड़ी के लिये इस तरह की सहायता और सटेलाइट्स वगैरह से या स्पेस रिसर्च सेंटर से मिल सकती है, तो उसे प्राप्त करने का सरकार ने अब तक प्रयास किया है ? अगर नहीं किया है तो मैं जिस संगठन की चर्चा कर रहा हूं उसको खड़ा करने के काम में क्या उनकी मदद भी ली जायेगी ?

इसी सम्बन्ध में मैं एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान है, तो क्या अंडमान पर आप कोई एक ऐसा मिला जुला जत्था रखेंगे पानी की समुद्र पर चलने वाले डहाज, हवाई जहाज, हेलीकोप्टर आदि जो दुर्घटना की सूचना मिलते ही या कोई जहाज खतरे में है, इसकी सूचना मिलते ही मदद के लिये दौड़ें ? इस तरह का कोई संगठन या जत्था आप अंडमान में जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है बनायेंगे ?

मंत्री महोदय इस बात का भी खुलासा करें कि क्या मीटिरिआलाजिकल सर्वे के बाद आप कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक विशेष मौसम में ये दुर्घटनायें ज्यादातर होती हैं ? क्योंकि हम लोग देखते हैं नवम्बर से लेकर जनवरी तक, मैं तो कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब साल के आखीर में और साल के प्रारम्भ में बंगाल की खाड़ी में इस तरह की आंधी के समाचार प्राप्त होते हैं, तो जब यह आंधी वाला मौसम चालू हो जाय तो क्या बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि छोटे-छोटे जहाज जो आंधियों का मकाबिला नहीं कर सकते वह इन दिनों में बुगाल की खाड़ी में न भेजे जायें और जो बड़े जहाज हैं, आधुनिक जहाज, सारी यंत्र सामग्री से जो परिपूर्ण हैं उन्हीं को इन दो तीन महीनों के अन्दर जब खतरा ज्यादा रहता है, इस्तेमाल में लाया जाय ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि महाजगमित्र के बारे में आपने खोज करना छोड़ दिया, तो इस बीच में आपको कोई इस बारे में जानकारी हुई और क्या ? इन नयी दुर्घटनाओं में 6 लोग जो गायब हैं इनकी खोज का काम जारी रखे हैं उसको भी खत्म कर दिया है ?

तो बंगाल की खाड़ी में इधर दो तीन सालों में कितनी दुर्घटनायें हुई हैं क्या उनके बारे में कोई मिलीजुली जानकारी वह इकट्ठी करेंगे और उसका मुकाबिला करने की कोई मिलीजुली योजना बनायेंगे, इसके बारे में भी सदन को विश्वास में लेंगे ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी** : माननीय सदस्य के सुझाव बड़े अच्छे हैं । मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा क्योंकि दुर्घटनाओं से जहाजों को बचाने के लिये या किसी का भी प्राण बचाने के लिये हमेशा ही प्रबन्ध करना चाहिये । जो कुछ भी प्रबन्ध सम्भव हो और हो सकेगा उसके विषय में कई सुझाव आये हैं हम जरूर उस पर विचार करेंगे ।

जहां तक इन 6 आदमियों की खोज की बात है मैंने यह निवेदन किया कि मेरे पास आज सूचना यह आई है कि उन लोगों की खोज का काम बन्द कर दिया और अभी राव साहब को मैं जवाब दे रहा था कि मैं इस बात को देखूंगा कि क्यों खोज का काम बन्द कर दिया । अगर जिन्दा नहीं मिल सकते तो क्या यह सम्भव है कि उनके शव ही मिल जाय, यह मैं देखूंगा, इसकी जानकारी उनसे हासिल करूंगा । सम्भवतः उन्होंने यह समझ कर छोड़ दिया कि चार पांच दिन बराबर खोज करते रहे, कुछ पता नहीं लगा सका, जो मिल सके उनको ले आये जीवित या मृत और जो नहीं मिल सके उनके लिये ज्यादा परिश्रम और प्रयास करने का कदाचित कोई ज्यादा उपयोग नहीं होगा इसलिये उन्होंने छोड़ दिया होगा । फिर भी मैं उसकी जांच करूंगा ।

माननीय मधु जी ने जो सुझाव दिये उन्हें मैंने नोट कर लिया है । मैं उन पर अवश्य विचार करूंगा कि कुछ किया जा सकता है तो किया जाय ।

जहां तक दूसरे देशों को मिलाकर कोई संगठन खड़ा करने की बात है वह तो एक अलग बात है । बंगला देश, मलाया और बर्मा ये सब स्वतन्त्र देश हैं । इनसे कुछ बातचीत करने के बाद ही कि कैसे किया जाय, क्या हो, ये ऐसे मसले हैं कि जिन पर विचार करने के बाद ही कुछ उत्तर दिया जा सकता है ।

---

**12.38 hrs.**

## RE. ADJOURNMENT MOTIONS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir I have given notice of an Adjournment Motion. I want to make a statement. I have given notice of that also. (*Interruption*)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है । महाराष्ट्र और मैसूर का सीमा विवाद हल करने में केन्द्र सरकार की विफलता के कारण दोनों प्रदेशों में इस समय अशान्ति मची हुई है । पहले बेलगांव में मराठी भाषा भाषियों पर पुलिस ने ज्यादतियां कीं । अब उसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के कुछ भागों में हो रही है । यह मामला इतने सालों से पड़ा हुआ है । आखिर केन्द्र सरकार कोई निर्णय इसमें क्यों नहीं कर सकती ? मैसूर में भी कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है । केन्द्र में प्रधान मंत्री सारी सत्ता अपने हाथ में केन्द्रित किये हुये हैं । यह सीमा विवाद कब तक लटका कर रखा जाय ? .....

**श्री मधु लिमये** (बांका) : हम लोगों के भी कामरोको प्रस्ताव हैं । क्या ये लोग को विघटन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या दो प्रदेशों में लड़ाई कराने का इनका इरादा है ?

**श्री मधु लिमये** : हमारे कामरोको प्रस्ताव पर तुरन्त बहस होनी चाहिये । सरकार की यह विफलता है राष्ट्र विघटन के कगार पर खड़ा है ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय , मेरा निवेदन है कि आप केवल इस आधार पर हमारे कामरोको प्रस्ताव को